रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. 9/2015–2020

विषयः–सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तथा प्रशुल्क दर कोटा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात की मात्रा का आबंटन।

फा.सं.01/91/180/879/एएम08/निर्यात सैल/पार्ट.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा (ii) अक्तूबर, 2014 से सितम्बर, 2015 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ को सीएक्सएल रियायती चीनी के निर्यात के लिए 10,000 मीट्रिक टन (दस हजार मीट्रिक टन) और (ii) यूएस के वित्तीय वर्ष, 2015 (1 अक्तूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत निर्यात हेतु गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) कोटा में से खांड (98 डिग्री पोल पर) भी 8424 मी.टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) की मात्रा आबंटित करते हैं।

2. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं0 3/2015–20 के अनुसार सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात तथा टीआरक्यू के तहत चीनी का निर्यात उपर्युक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है।

3. दिनांक 25.9.2009 के यूरोपीय संघ विनियमन (ईसी) संख्या 891/2009 के अनुच्छेद–10 के अनुसार "आदेश सं0 09.4321 के तहत सीएक्सएल रियायती चीनी के कोटे हेतु मुक्त वितरण के लिए यह रिलीज विनियमन (ईईसी) संख्या 2454/93 के अनुच्छेद 55 से 65 के अनुसार संबंधित तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्गम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगी"। तद्नुसार, निर्यात प्राधिकार दस्तावेज ईयूआर और जीएसपी में निम्नानुसार प्रविष्टियाँ की जानी हैं–

(i) सीएक्सएल रियायती चीनी

"[अनुसूची सीएक्सएल (यूरोपीय समुदाय) के तहत विनियमन (ईसी) सं. 891/2009 का अनुप्रयोग। सीएक्सएल रियायती चीनी क्रम सं0 09.4321]"

4. उपरोक्त पैरा 3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा और ईयूआर प्रपत्र को सीमा–शुल्क विभाग के द्वारा पोतलदान के पत्तन पर पृष्ठांकित किया जाना है।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही चीनी के निर्यात के लिए उद्गम का प्रमाण–पत्र, यदि आवश्यक हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित प्रमाणन की अन्य शर्त यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

6. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं. 3/2015–2020 के द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 30.09.2015 तक सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को तथा टीआरक्यू के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा अधिसूचित की गई है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st May, 2015

No. 9/2015-2020

Subject:- Allocation of quantity for export of sugar to EU under CXL quota and to USA under Tariff Rate Quota.

F. No. 01/91/180/879/AM 08/Export Cell/Pt.— In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates a quantity of (i) 10,000 MTs (Ten thousand metric tons) of white sugar for export of CXL Concessions sugar to European Union (EU) for the period October, 2014 to September, 2015 and (ii) 8424 MTs (Eight thousand four hundred and twenty four metric tons) of raw sugar (at 98 degree pol), out of non-levy (Free Sale) quota for export under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the US fiscal year 2015 (October 1, 2014 to September 30. 2015).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under CXL Quota and export of sugar to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. As per Article 10 of European Union Regulation (EC) No. 891/2009 of 25.9.2009 "release for free circulation for the quotas of CXL concession sugar with order no.09.4321 shall be subject to the presentation of a certificate of origin issued by the competent authority of the third country concerned in accordance with articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No. 2454/93". Accordingly, the entries to be made in the export authorization document EUR and GSP are as follows:-

(i) CXL Concessions Sugar

"[Application of Regulation (EC) No. 891/2009 under Schedule CXL (European Communities). CXL Concessions Sugar Serial No. 09.4321]".

4. Certificate of Origin as per details given in para (3) above shall be issued by the Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai and EUR Form is to be endorsed by Customs at the Port of Shipment.

5. Certificate of Origin, if required, for export of preferential sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

6. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 would be required to be followed.

7. Effect of this Public Notice:

The quantity of sugar to be exported to EU under CXL Quota and to USA under TRQ upto 30.09.2015 has been notified.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.